न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 72/2022

अपीलांट

स्व. देवाराम पुत्र कानाराम, जाति सुथार, निवासी–भन्दर, तहसील बाली, जिला–पाली के वैध प्रतिनिधिगण:–

1. चम्पा पत्नि स्व. देवाराम
2. रूपराम पुत्र स्व. देवाराम
3. अमृत पुत्र स्व. देवाराम
4. झुंझाराम पुत्र स्व. देवाराम
5. इन्द्रकुमार पुत्र स्व. देवाराम

जाति–सुथार, निवासी–भन्दर, तहसील–बाली, जिला–पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट

बाबुलाल पुत्र पूनमाजी, जाति सुथार, निवासी–भन्दर, तहसील बाली जिला पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री दीपाराम, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री नारायणलाल, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांकः– 29/9/2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध जीसीएमएस नम्बर 2022/172 बउनवान बाबूलाल बनाम चम्पा में पारित आदेश दिनांक 17.06.2022 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 109 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 15.01.2008 को पेश किया। दिनांक 10.05.2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित कृषि भूमि ग्राम भण्दर तहसील बाली में स्थित खसरा नम्बर 937 व खसरा नम्बर 938 में निर्माण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कर भूमि को वेस्ट डेमेज नहीं करें, निर्माण कार्य नहीं करे, बेचाण हस्तान्तरण नहीं करें तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में वाद के अन्तिम निर्णय तक कृषि भूमि की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेण्ट के पिता पूनमाजी ने अपना विघमान हिस्से को दिनांक 04.05.1964 को स्व. कानाराम व स्व. देवाराम को बेचाण कर उक्त आराजी को दिनांक 04.05.1964 को कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से स्व. देवाराम व उनके पश्चात अपीलाण्ट का कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोडेण्ट द्वारा पेश वादपत्र संख्या 254/2009 से जवाबदावा के साथ काउन्टर क्लेम अपीलाण्ट द्वारा पेश किया हुआ है जिसमें अपीलाण्ट द्वारा बेचाननामा दिनांक 04.05.1964 के आधार पर खातेदारी अधिकार मांगे गए है।

पूर्व में पेश किए वाद संख्या 110/98 व 140/98 में रेस्पोडेण्ट द्वारा धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत आवेदन पत्र पेश किया जो आवेदनपत्र दिनांक 05.02.1999 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को खसरा नम्बर 938 व 964 के अप्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलअन्दाजी नहीं करने, कराने से पाबन्द किया। जिस आदेश दिनांक 05.02.1999 से व्यथित होकर प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के यहां अपील संख्या 20/1999 पेश की। जो दिनांक 22.11.2000 को अस्वीकार कर खारिज की गई जिस आदेश दिनांक 22.11.2000 से व्यथित होकर अप्रार्थी ने निगरानी संख्या 53/2001 राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की जो दिनांक 11.02.2004 को अस्वीकार कर खारिज की गई। जिसमें स्पष्ट है कि विवादित आराजी के खसरा नम्बर 938 व 964 पर र्निविवाद रूप से एकमात्र कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का खातेदार काश्तकार के रूप से चला आ रहा है।

रेस्पोडेन्ट का दिनांक 04.05.1964 से विवादित आराजी पर कोई हक हिस्सा, अधिकार, कब्जा आधिपत्य नहीं रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कब्जे के संबध में कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाया है, तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 किसी प्रकार से अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं होता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज अनुरूप रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया मामला साबित था, न ही सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु साबित था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तीनो बिन्दुओ पर बिना फाईन्डिग दिये जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपील बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम भण्दर तहसील बाली में स्थित खसरा नम्बर 937, 938, 939, 957, 958, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971, 974 कुल रकबा 2.96 हैक्टयेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के संबध में प्रस्तुत कर अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट का 1/12 हिस्सा निहित है। जिससे वादग्रस्त आराजी के संबध में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। साथ ही अपीलांट का रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की कब्जे काश्त में दखलदांजी एवं हस्तानांतरण से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। एवं अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद विचाराधीन रहते हुए अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कब्जे काश्त में दखलदांजी करते है अथवा उक्त आराजी को किसी अन्य को बेचान करते है, तो इससे वाद बाहुल्यता बढेगी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम भण्दर तहसील बाली में स्थित खसरा नम्बर 937, 938, 939, 957, 958, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971, 974 कुल रकबा 2.96 हैक्टयेर के संबध में प्रस्तुत कर अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपीलाण्ट के पिता स्व. देवाराम को वादग्रस्त आराजियात में से ख. न. 938, 964 पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02. 1999 को अपीलाण्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, जिसको माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर ने भी अपने निर्णय से यथावत रखा, के तथ्य को उठाया, किन्तु प्रकरण में यह है कि जिस राजस्व विविध प्रकरण संख्या 144/98 अनवान देवाराम वगै बनाम बाबु वगै अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम अपीलाण्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई थी। उसका मूल राजस्व वाद संख्या 110/98 अनवान देवाराम बनाम बाबूलाल वादी द्वारा विड्रो करने से दिनांक 27.02.2008 को खारिज हो चुका है। जिससे मूल वाद खारिज होने से दिनांक 05.02.1999 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश का कोई महत्व नहीं रह जाता। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की सहखातेदारी आराजी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने उक्त वादग्रस्त आराजीयात के संबध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद प्रस्तुत किया, जो आदिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद के विचाराधीन रहते अगर पक्षकारो द्वारा अविभाजित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व ... प्राधिकारी पाली

भूमि के किसी विशेष भू–भाग पर निर्माण या बैचान किया जाकर मौके व राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का फेरबदल होता है। तो इससे ही निश्चय ही वाद बाहुल्यता बढेगी, एवं पक्षकारो के मध्य अनावश्यक तनाव पैदा होगा। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का नाम जमाबंदी संवत 2076 से 2079 में वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिससे हस्तगत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णनीय क्षति रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में प्रतीत होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तीनो बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नम्बर 2022/172 बउनवान बाबुलाल बनाम देवाराम में पारित आदेश दिनांक 17.06.2022 में आंशिक संशोधन इस कदर किया जाता है कि उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजी के किसी विशेष भू–भाग का बेचान, विशेष भू–भाग पर निर्माण वाद के अंतिम निस्तारण तक नहीं करे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29/9/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली